**सराहनीय कार्य**

**प्रेस नोट**

**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**

**दिनांक 27.11.2023**

**हत्या करने का 01 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल नाजायज चाकू बरामद, बालअपचारी अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में-**

गोण्डा। दिनांक 24.11.2023 को थाना तरबगंज क्षेत्र के अंतर्गत राजेंद्र पुत्र झिनकू विश्वकर्मा निवासी ग्राम हंचन तारा थाना उमरी बेगमगंज ने थाना तरबगंज में सूचना दी की मेरे बुआ के लड़के जगदेव पुत्र शिव दयाल शर्मा निवासी अमदही उमरी बेगमगंज जो कि थाना तरबगंज अंतर्गत भानपुर में लगे मेले को देखने आया था वहीं पर राजू तेली पुत्र मनीराम निवासी तारा डीह थाना उमरी बेगमगंज व दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने मिलकर मेरे बुआ के लड़के को मारा पीटा जिससे उसको काफी चोटे आई हैं सूचना पर स्थानीय पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल को सीएचसी तरबगंज ले जाया गया व उचित इलाज हेतु जिला अस्पताल गोंडा ले जाया गया जहां घायल जगदेव पुत्र झिनकू की मृत्यु हो गयी थी। सूचना को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश प्र0नि0 तरबगंज को दिए गए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 27.11.2023 को रामपुर टेंगरहा मोड़ से अभियुक्त राजू गुप्ता को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से आलाकत्ल नाजायज चाकू बरामद किया गया व उसके बालअपचारी भाई को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त राजू गुप्ता द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.11.2023 की रात्रि ग्राम चिवरहा के रामलीला मेला में मेरे भाई व मृतक जगदेव के बीच धक्का-मुक्की व मारपीट हुई थी मै वही चाउमीन की दुकान लगा रखा था मारपीट देखकर मै तैश में आकर चाकू से जगदेव के ऊपर हमला कर दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही व बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. राजू गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता नि0 ताराडीह थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-436/23, धारा 323,324,302 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

प्र0नि0 तरबगंज समशेर बहादुर सिंह मय टीम।